

अध्याय II: आर्मी बेस वर्कशॉपों की प्रभावकारिता

2.0 ओवरहाल का महत्व

भारतीय सेना के पास शस्त्र प्रणाली तथा उपकरण की बृहत इन्वन्टरी है जिसे युद्धकालीन परिस्थिति के लिए बनाए रखना आवश्यक है। उपकरण का ओवरहाल करने का निर्णय, उस उपकरण को भारतीय सेना में सम्मिलित करते समय बनायी गई उपकरण प्रबंधन नीति विवरण (ईएमपीएस), जिसमें उपकरण के जीवन चक्र की परिकल्पना की गई है और उसमें, दर्शायी गई अनुरक्षण फिलॉसॉफी के आधार पर तय किया जाता है। एबीडब्ल्यू के द्वारा किए जाने वाले ओवरहाल के लक्ष्य एमजीओं द्वारा तय किए जाते हैं, जो विविध घटकों के संयोजन जैसे कि, ईएमपीएस में वर्णित उपकरणों के ओवरहाल का नियतकाल तथा परिस्थिति, ओवरहाल का बैकलॉग, एबीडब्ल्यू की क्षमता तथा डीजीओएस के द्वारा पुर्जों की आपूर्ति तथा पुर्जों की विविध आपूर्तिकर्ता एजन्सियों पर निर्भर करते हैं।

2.1 उपकरणों की रूपरेखा

भारतीय सेना अपनी सूची श्रेणी “ए” में 23 वाहनों को धारण किए हुए है जिसमें आर्मर्ड फाइटिंग वाहन (एएफवी), इन्फन्ट्री कॉम्बैट वाहन (आयसीवी), आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी), गन तथा बर्फ पर चलने वाले वाहन शामिल हैं। सभी सहायक वाहनों को श्रेणी “बी” उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। युद्ध सदृश्य परिस्थिति तथा वाहनों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ तथा क्रिटिकॉलिटी को विचार में रखते हुए तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित वर्कशॉपों के आधार पर निम्नलिखित एएफवी/आयसीवी तथा एआरवी को, उनके ओवरहाल एजन्सियों सहित लेखापरीक्षा में आवरित किया गया है जैसा कि नीचे तालिका-2 में निर्दिष्ट किया गया है:

तालिका 2: चयनित श्रेणी ‘ए’ उपकरणों की विशेषताएँ तथा उनका ओवरहाल करने वाली एजन्सी

उपकरण	शामिल होने का वर्ष	मुख्य विशेषताएँ	ओवरहाल करने वाली एजन्सी
टैंक टी-90	2002	आर्मर्ड कॉर्प्स का यह मुख्य टैंक है।	2018 से ओवरहाल के लिए देय है, परन्तु ओवरहाल एजन्सी का तय किया जाना अभी शेष है। सिर्फ 505 एबीडब्ल्यू में घटक स्तरीय रिपेयर ⁶ करना तय हो पाया।
एमवीटी अर्जुन	2004	एक स्वदेशी बनावट का टैंक है जिसमें 120 मीमी राईफल बोर गन होती है। एनवीसी युद्ध परिदृश्य में यह महत्वपूर्ण होता है।	वर्ष 2020 से ओवरहाल के लिए देय है, परन्तु ओवरहाल एजन्सी का तय किया जाना अभी शेष है।
टैंक टी-72	1979	यह सेना का मुख्य टैंक है जो 780 एचपी सुपर चार्ज इंजिन तथा 125 मीमी स्मूथ बोर गन से युक्त है।	505 एबीडब्ल्यू तथा भारी वाहन फॅक्टरी (एचवीएफ), आवडी
बीएमपी-II	1985	यह एक उभयचर क्षमताओं तथा उच्च डिग्री से दौड़ने वाला इन्फन्ट्री लडाकू वाहन है तथा इन्फन्ट्री सैनिकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।	512 एबीडब्ल्यू तथा आयुध फॅक्टरी, मेडक(ओएफएम)
एआरवी डब्ल्यूझेड टी-3	1999	टैंक टी-72 तथा टी-90 और उनके विविध प्रकार के लिए यह एक आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी) है।	512 एबीडब्ल्यू में सुविधा का निर्माण करने के लिए परामर्श अनुबंध समाप्त किया गया।
एआरवी वीटी-72बी	1994	टैंक टी-72 तथा टी-90 और उनके विविध प्रकार के लिए यह एक आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी) है।	
एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2	1981	टैंक टी-55 और उनके विविध प्रकार के लिए यह एक आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी) है।	512 एबीडब्ल्यू

⁶घटक स्तरीय मरम्मत- को इस एमयूए (मेजर युनिट एसेम्बली) पूल की सुविधा में तब तक बनाए रखा जाएगा, जब तक वह खराब न हो जाए। इस सुविधा को कॉर्प्स झोन वर्कशॉप में स्थापित किया जाएगा ताकि, मरम्मत कार्य फारवर्ड एरिया में किया जा सके और टैंकों को अल्पावधि में पुनः सुस्थिति में सड़कों पर उतारा जा सके। प्रस्तावित “घटक स्तरीय मरम्मत सुविधा” का उपयोग करते हुए खराब हुए एमयूए की मरम्मत की जाएगी तथा उसे वापस पूल को भेज दिया जाता है। इससे मिशन सुसज्जता तथा विश्वसनीयता के दौरान टैंक को समर्थ बनाए रखने में सहायता मिलती है।

2.2 अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंड

रक्षा मंत्रालय ने 30 वर्षों की परिकल्पित सेवा आयु के आधार पर अनुरक्षण फिलॉसॉफी को (अप्रैल 1987) प्रकाशित किया, जो कि, एएफवी, आयसीवी तथा एआरवी के लिए है। सेवारत सभी एएफवी, आयसीवी तथा एआरवी के साथ-साथ भविष्य में शामिल होने वाले वाहनों पर भी यह लागू होगा। सेना मुख्यालय द्वारा इन मानदंडों को दिसंबर 2003 तथा बाद में फरवरी 2014 में संशोधित किया गया जैसा कि नीचे तालिका-3 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3 : श्रेणी 'अ' वाहनों के रख-रखाव के लिए मध्यस्थता अवधि:

रख-रखाव के लिए मध्यस्थता	2003 की पॉलिसी के अनुसार अवधि काल (जो भी पहले हो)		2014 की पॉलिसी के अनुसार अवधि काल(जो भी पहले हो)	
मीडियम रिपेयर (एम आर-1)	8-10 साल	2000-2500 किमी	10 साल	2400 किमी
ओवरहाल (ओ एच-1)	15-16 साल	2500-4000 किमी	16 साल	3700 किमी
मीडियम मरम्मत (एम आर-2)	21-22 साल	5250-5000 किमी	23 साल	5400 किमी
ओवरहाल (ओ एच-2)	---	-----	29 साल@	6700 किमी
मीडियम मरम्मत (एम आर-3)	26-27 साल	6500-6750 किमी	35 साल#	7900 किमी

@ 35 वर्षों से अधिक सेवा करने वाले उपकरण के लिए तथा शेष उपकरण एमआर के लिए जाएंगे और 35 वर्षों के पश्चात् इन्हें हटाया जाता है।

मात्र ओएच-2 उपकरण के लिए तथा जिनकी सेवा 40 वर्षों तक या उससे अधिक हुई है।

इसी प्रकार, श्रेणी 'बी' उपकरण अर्थात् रडारों तथा डीजी सेटों के शामिल होने की तिथि से दस वर्षों के पश्चात ओवरहाल किया जाना आवश्यक होता है। दूसरा ओवरहाल पहले ओवरहाल के सात वर्षों के पश्चात किया जाना चाहिए। युद्ध भूमि निगरानी रडार (बीएफएसआर) के मामले में, पहला ओवरहाल सात वर्षों के पश्चात किया जाना चाहिए।

2.2.1 रख-रखाव प्रक्रिया

विद्यमान पद्धति के अनुसार, शुरुआती दौर में ही किसी विशिष्ट उपकरणों के ओवरहाल के लिए एबीडब्ल्यू का नामांकन किया जाता है ताकि दीर्घकालीन पूर्वानुमान तथा योजना बनाई जा सके। प्रत्येक वर्ष, ओवरहाल लक्ष्य निर्धारण बैठक के दौरान, वर्तमान उत्पादन वर्ष के लक्ष्यों का पुनरीक्षण तथा अगले साल का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और अगले तीन सालों के लिए अनुमानित योजना की जाती है। एबीडब्ल्यू, डीजीओएस, ओएफबी एवं डीपीएसयू द्वारा प्राप्त सूचनाएँ लक्ष्यों के संशोधन का आधार होती हैं। सेना मुख्यालय द्वारा मरम्मत कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही एबीडब्ल्यू में ओवरहाल प्रक्रिया प्रारंभ होती है और सभी आपूर्ति एजन्सियों को इन लक्ष्यों की सूचना दी जाती है ताकि समय पर पुर्जों की निर्मिती, प्रावधान तथा उसकी आपूर्ति की जा सके। ओवरहाल कार्यक्रम की प्राप्ति के पश्चात, वर्कशॉप फीडिंग डिपो से मरम्मत योग्य वाहनों तथा पुर्जों की नोटिस के जरिए माँग करते हैं।

2.3 श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में बैकलॉग

हमने देखा कि, श्रेणी 'ए' के उपकरण के ओवरहाल हेतु अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों को जिस तरह से कार्यान्वित किए गए, जिसकी परिणति श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में दीर्घ विलंब तथा बैकलॉग में हुई जैसा कि नीचे तालिका-4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4: श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में बँकलॉग

उपकरण	बीएमपी-II तथा II के#				एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2				टैंक टी-72#			
	ए ⁷	बी ⁸	सी ⁹	डी ¹⁰	ए	बी	सी	डी	ए	बी	सी	डी
2010-11	2240	949	72	877	222	222	00	222	2418	811	98	713
2011-12	2329	928	124	804	222	222	02	220	2418	793	83	710
2012-13	2368	912	72	840	222	220	02	218	2418	789	126	663
2013-14	2412	939	121	818	222	218	02	216	2418	727	140	587
2014-15	2412	980	145	835	222	216	03	213	2418	664	160	504
2015-16	2412	892	90	802	222	213	13	200	2418	612	133	479

ओवरहाल किए गए बीएमपी में ओएफ, मेडक द्वारा ओवरहाल किए गए बीएमपी भी शामिल है तथा ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 में हेवी वाहन फक्टरी, आवडी द्वारा ओवरहाल किए गए टैंक शामिल है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, औसतन, 2010-11 से 2015-16 के दौरान बीएमपी की कुल फ्लीट का 35 प्रतिशत ओवरहाल के लिए देय थे, जिससे सामरिक प्रकार्यों के लिए फ्लीट की प्रभावी उपलब्धता घट गई। चूँकि इस अवधि के दौरान 512 एबीडब्ल्यू तथा ओएफ, मेडक ने एक साथ मिलकर वर्षभर में औसतन 104 बीएमपी का ही ओवरहाल किया था। इसके कारण, बँकलॉग की समाप्ति की संभावना तथा संपूर्ण फ्लीट को प्रचालित करने की गुंजाईश आगामी भविष्य में दिखाई नहीं देती।

एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2 के मामले में, जहाँ 2010 में संपूर्ण फ्लीट ओवरहाल के लिए देय था, 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान कुल फ्लीट के 22 (10 प्रतिशत) उपकरण का ही ओवरहाल किया गया। बाकी 168 उपकरण सीएएफवीडी, किरकी तथा 512 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल के लिए श्रेणी V (ऑफ-रोड) की स्थिति में प्रतीक्षित रहे।

यद्यपि टैंक टी-72 के ओवरहाल का बँकलॉग 2010-11 में 713 से 2015-16 में 479 टैंकों तक घट गया, फिर भी यह उच्चतर था जो कि कुल संख्या के 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जब कि, टैंक टी-72 भारतीय सेना का एक मुख्य युद्ध टैंक है।

2.3.1 महत्वपूर्ण सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बँकलॉग

हमने देखा कि, सिग्नल उपकरण के अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों के अपालन तथा दीर्घ विलंबन के परिणामस्वरूप ओवरहाल में बँकलॉग की निर्मिती हुई जिसे नीचे तालिका-5 में विनिर्दिष्ट किया गया है:-

तालिका 5: महत्वपूर्ण सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बँकलॉग

उपकरण	शामिल किए जाने के वर्ष	कुल धारित संख्या	ओवरहाल के लिए कुल देय	31.03.2016 तक ओवरहाल किए गए उपकरण			पहले तथा दूसरे ओवरहाल का बँकलॉग
				पहला ओवरहाल	दूसरा ओवरहाल	कुल ओवरहाल	
रडार फ्लाय कॅचर	1987 से 2008	215	पहला ओएच-168 दूसरा ओएच-77	138	58	196	पहला ओएच-30 दूसरा ओएच-19
रडार टीसी रिपोर्टर	1996 से 2005	92	पहला ओएच-74 दूसरा ओएच-00	49	00	49	पहला ओएच- 25 दूसरा ओएच-00
युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार (बीएफ एसआर) मध्यम रेंज	2001 से 2013	252	पहला ओएच-201	159	00	159	पहला ओएच- 42
19 केवीए डीजी सेट	एबीडब्ल्यू में रिकार्ड उपलब्ध नहीं	307	पहला ओएच-242 दूसरा ओएच-77	187	58	245	पहला ओएच- 55 दूसरा ओएच-19

7 ए- कुल संख्या

⁸बी- प्रत्येक वर्ष मार्च को ओवरहाल के लिए उपकरण देय जिसमें पिछले वर्षों के बँकलाग भी शामिल हैं।

⁹सी- वर्ष के दौरान किए गए ओवरहाल

¹⁰डी- बँकलाग

हमने रडार फ्लाय कैचर के पहले ओवरहाल में 18 प्रतिशत, रडार टीसी रिपोर्टर में 34 प्रतिशत और युद्ध मैदान निगरानी रडार में 21 प्रतिशत का बॅकलॉग पाया।

जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बॅकलॉग, अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन और प्रत्येक वर्ष लक्ष्यों में कमी तथा ओवरहाल में विलंब के कारण हुई। इसका सामरिक सुसज्जता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चयनित प्रत्येक एबीडब्ल्यू के निष्पादन की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.4 505 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), नई दिल्ली

505 एबीडब्ल्यू टैंक टी-72 सहित उसके इंजिनों, स्कॅनिया वाहनों, एएम-50 ब्रिजिंग सिस्टम के ओवरहाल का कार्य करता है। 505 एबीडब्ल्यू मरम्मतीय वाहनों को केंद्रीय वाहन डिपो (सीवीडी), दिल्ली से प्राप्त करता है तथा ओवरहाल किए गए वाहनों को उसे हस्तांतरित करता है। केंद्रीय वाहन डिपो (सीवीडी), दिल्ली 505 एबीडब्ल्यू के लिए फीडिंग डिपो के रूप में मनोनित किया गया है।

2.4.1 ओवरहाल लक्ष्यों को हासिल न किया जाना

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मिड-टर्म पुनरीक्षण बैठकों के कार्यवृत्तों से यह देखा गया कि, प्रति वर्ष लक्ष्यों को संशोधित किया गया था। मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य के ब्योरे नीचे तालिका-6 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 6: 505 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल लक्ष्यों का हासिल न करना

उपकरण→ वर्ष	टैंक टी-72			इंजिन टी-72			कोलोस टाट्रा		
	ओ ¹¹	आर ¹²	ए ¹³	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	50	40	35	50	60	30	शून्य	20	20
2011-12	50	50	10	100	21	07	30	20	06
2012-13	60	50	50	136	80	71	10	10	10
2013-14	50	40	30	100	80	72	10	10	10
2014-15	50	40	40	100	60	60	03	03	03
2015-16	50	50	40	100	100	100	शून्य	शून्य	शून्य

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि टैंक टी-72 के विषय में मूलरूप में आबंटित लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्यों में कमी पायी गई जो कि, 17 से 80 प्रतिशत के बीच रही। टी-72 के इंजिनों के विषय में, यह 0 से 93 प्रतिशत के बीच रही। 505 एबीडब्ल्यू, मीड-टर्म पुनरीक्षण बैठक में निश्चित किए गए मूल लक्ष्य तथा संशोधित लक्ष्यों को प्राप्त न कर सका।

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल में विलंब पूर्णतया पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हुआ जिसकी आपूर्ति ओएफ तथा डीपीएसयू ने करनी थी। एमजीओ का यह दावा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि, पुर्जों की उपलब्धता की जिम्मेवारी भी एमजीओ पर आती है, अतः यह लाजमी हो जाता है कि, उत्पादन वर्ष की शुरूआत होने से पहले ओवरहाल मानदंडों के अनुसार प्राधिकृत पुर्जों को पूरी रेंज तथा मात्रा में उपलब्धता उनके द्वारा सुनिश्चित की जाए।

इस लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई क्रिटिकल पुर्जों तथा उत्पादन होल्ड-अप सामग्रियों की अनुपलब्धता, की चर्चा अध्याय-IV के पैरा 4.1.1 में की गई है।

¹¹ 'ओ' - मूल लक्ष्य

¹² 'आर' - संशोधित लक्ष्य

¹³ 'ए' - लक्ष्य प्राप्ति। वर्ष के दौरान किए गए ओवरहालों को उपलब्धि के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है।

2.4.2 ओवरहाल में विलंब

विभिन्न उपकरण के ओवरहाल के प्रभावपूर्ण तथा समर्थ रूप से प्रबंधन के लिए बीडब्ल्यूजी ने विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए थे, जो कार्यकलाप के आवश्यक अधिकतम समय को सूचित करता है। यद्यपि, हमने देखा कि, उत्पादन वर्ष के दौरान लक्ष्य में कटौती के बावजूद, उपकरण के ओवरहाल में असामान्य विलंब था।

विद्यमान मानदंडों के अनुसार, टैंक टी-72 का ओवरहाल 144 दिनों के भीतर पूरा करना आवश्यक है। यद्यपि, हमने देखा कि, टैंक टी-72 को निर्धारित समय सीमा में ओवरहाल नहीं किया जा सका। 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रत्येक टैंक के ओवरहाल के लिए लिया गया वास्तविक समय 144 दिनों के मानदंडों से ज्यादा था और यह विलंब दो से तीन वर्षों के बीच में रहा। नीचे दी गई तालिका-7 पिछले छह वर्षों के दौरान ओवरहाल में विलंब की स्थिति का वर्णन करती है।

तालिका 7: टैंक टी 72 के ओवरहाल में विलंब

वर्ष	ओवरहाल के लिए लिया गया उपकरण (सं.)	किए गए ओवरहाल (सं.)	समय सीमा के भीतर किए गए ओवरहाल	ओवरहाल के लिए लिया गया समय (दिन)		समय सीमा को छोड़कर ओवरहाल के लिए लिया गया समय	
				न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	54	53 ¹⁴	00	378	877	234	733
2011-12	29	29	00	372	980	228	836
2012-13	36	36	00	247	914	103	770
2013-14	15	15	00	456	688	312	544
2014-15	40	40	00	356	577	212	433
2015-16	50	40	00	212	408	68	264

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल में विलंब मात्र पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हुआ। एमजीओ का यह दावा युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि, पुर्जों की उपलब्धता की जिम्मेवारी भी एमजीओ की ही है।

2.4.3 ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 को युनिटों को जारी करने में विलंब

ओवरहाल कार्य पूरा होने पर, ओवरहाल किए गए उपकरणों को फीडिंग डिपो द्वारा ग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात्, डीजीओएस, एमजीओ शाखा, लाइन डायरेक्टोरेट (प्रयोक्ता) तथा एमआयएसओ (प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन) से परामर्श करने के पश्चात् संबंधित फील्ड युनिटों को ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी करने हेतु, फीडिंग डिपो को निर्गत आदेश जारी करता है।

ओवरहालमें गुणवत्ता सुधार हेतु नीति के अनुसार, वर्कशॉपों द्वारा ओवरहाल किए गए उपकरणों को सात दिनों के भीतर डिपो को सौंपा जाना आवश्यक होता है। ओवरहाल किए गए उपकरण मिलने पर, डिपो उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में डीजीओएस को निर्गत आदेश को जारी करने हेतु सूचित करते हैं। हमने देखा कि, अधिकतर मामलों में, एबीडब्ल्यू ने ओवरहाल किए गए उपकरणों के लिए रखी गई समयबद्धता का पालन किया था। यद्यपि, एबीडब्ल्यू की कार्य क्षमता को, आयुध डिपो द्वारा उपकरण को निर्गत करने तथा प्रेषण करने में विलंबों के कारण निष्फल कर दिया गया।

हमने देखा कि, डीजीओएस द्वारा उपकरण को निर्गत करने तथा डिपो द्वारा युनिटों को उपकरणों का समय साँचे के अंदर प्रेषण करने के संबंध में कोई भी हेतुमानक ऑपरेटिंग पद्धति (एसओपी) को नहीं बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, सेना मुख्यालय द्वारा निर्मुक्त आदेशों (आरओ) को जारी करने में सुसंगति नहीं पाई

¹⁴ एक टी-72 टक को बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेअर (बीईआर) घोषित किया गया।

गई। कुछ मामलों में, निर्मुक्त आदेशों को ओवरहाल के पूरे होने के पहले ही जारी किया गया था जबकि, अन्य मामलों में आरओ को जारी करने में एक वर्ष से अधिक समय का विलंब हुआ।

अ. निर्मुक्त आदेश (आरओ) को जारी करने में विलंब

हमने देखा कि, ओवरहाल किए गए 181 टैकों में से, केवल पाँच मामलों में ही सीवीडी द्वारा टैकों के प्राप्त करने से पहले आरओ को जारी किया गया था। 131 मामलों में दो महीनों के भीतर आरओ को जारी किया गया था तथा 31 मामलों में यह दो महीनों से एक वर्ष के बीच रहा। 2011-12 में ओवरहाल किए गए टैकों के दो मामलों में आरओ को अभी भी जारी किया जाना शेष है। इनके ब्योरे नीचे तालिका-8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 8: ओवरहाल किए गए टैक टी-72 के विषय में आरओ के जारी करने में विलंब

वर्ष	सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए टैक टी-72 की संख्या	सेना मुख्यालय द्वारा Issue Orders floated by AHQ					
		ग्रहण करने से पूर्व की स्थिति	0-60 दिन	61-120 दिन	121-180 दिन	181-365 दिन	366 दिन तथा ऊपर
2010-11	17	00	01	08	02	06	00
2011-12	33@	02	26	03	00	00	00
2012-13	35	02	26	04	02	01	00
2013-14	28	01	23	04	00	00	00
2014-15	28	00	28	00	00	00	00
2015-16	40@	00	27	01	00	00	00
कुल	181	5	131	20	4	7	0

@ वर्ष 2011-12 के दो मामलों में तथा वर्ष 2015-16 के 12 मामलों में निर्गत आदेश जारी नहीं किए गए थे (मार्च 2016)।

तथ्यों के विपरीत, उत्तर में, एमजीओ ने बताया (जुलाई 2016) कि, निर्मुक्त आदेशों की शुरूआत करने में उनकी ओर से कोई विलंब नहीं हुआ था। यह कार्य दो सप्ताहों के भीतर कर दिया गया था।

ब. प्रेषण में विलंब

सीवीडी, दिल्ली छावनी द्वारा प्राप्त किए गए 181 ओवरहाल टैकों में से, 23 टैको को अभी भी युनिटों को जारी किया जाना बाकी था तथा 78 टैकों के संबंध में, जारी करने में विलंब दो से 24 महीनों के बीच पाया गया जैसा कि, नीचे तालिका -9 में निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 9: सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए हुए टैक टी-72 के प्रेषण में लिया गया समय

वर्ष	सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए टैक टी-72 की संख्या	सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल टैक टी-72 को प्रेषित करने के लिए लिया गया समय						
		2 महीनों तक	2 से 4 महीने	4 से 6 महीने	6 से 12 महीने	12 से 24 महीने	24 महीने और ऊपर	अभी भी जारी नहीं किए गए
2010-11	17	13	01	00	03	00	00	
2011-12	33	19	04	03	01	04	00	2
2012-13	35	21	03	07	00	03	01	-
2013-14	28	07	01	04	07	04	05	-
2014-15	28	11	06	05	02	02	01	1
2015-16	40	09	03	04	02	01	01	20
कुल	181	80	18	23	15	14	8	23

2.4.4 ओवरहाल किए गए उपकरण तथा इंजिनों का गुणवत्ता इन्डेक्स

सेना उपकरण के ओवरहाल का लक्ष्य, उसकी आयु, प्रयोग तथा तैनाती की वजह से हुए परिणामों को हटाते हुए उसे सुसज्जित तथा पुनःस्थापित करना है। डीजीईएमई के तहत कार्य करने वाली तकनीकी ग्रुप ईएमई (टीजीईएमई) ने ओवरहाल किए गए उपकरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए पद्धति का (अगस्त 1994) सुझाव दिया था। इस पद्धति में एबीडब्ल्यू के निरीक्षण स्टाफ द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण, क्रिटिकल

स्तरों तथा उपकरण के पूरी तरह से ओवरहाल किए जाने के पश्चात निवासी निरीक्षकों (आरआई) द्वारा अंतिम निरीक्षण आवश्यक बताया गया है।

बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने (अगस्त 2004), ओवरहाल किए गए उपकरणों, इंजिनों तथा मुख्य ऐसम्बलियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ओवरहाल किए गए उपकरण के गुणवत्ता इन्डेक्स (क्यूआई) के मापन हेतु तकनीकी निर्देश भी जारी किए थे। क्यूआई एक निष्पादन सूचक है जो, ओवरहाल किए गए उपकरण को निर्माणकर्ताओं द्वारा रखे गए विशिष्टताओं के सम्मुख उसकी गुणवत्ता निष्पादन को मूल्यांकित करता है। यदि बीडब्ल्यूजी के गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ द्वारा अंतिम जाँच के दौरान उपकरण त्रुटिपूर्ण पाया गया तो क्यूआई न्यूनतम होगा।

दिशा निर्देशों के अनुसार, ओवरहाल किए गए टैंक टी 72 के लिए क्यूआई 95 होना चाहिए। हमने देखा कि, हासिल क्यूआई तकनीकी अनुदेशों में निर्धारित सीमा से बहुत ही कम था तथा इसके बावजूद भी उपकरण डिपों को जारी किए गए थे। टैंक टी-72 के विषय में प्राप्त किए गए गुणवत्ता इन्डेक्स को नीचे तालिका-10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10: ओवरहाल किए गए टैंक टी 72 का गुणवत्ता इन्डेक्स

वर्ष	टैंक टी-72	
	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	87.8	91.98
2011-12	86.51	92.44
2012-13	84.73	91.93
2013-14	90.3	92.20
2014-15	83.80	92.13
2015-16	87.25	92.2

एमजीओ ने अपने उत्तर में यह माना कि, लक्षित गुणवत्ता इन्डेक्स को पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हासिल नहीं किया जा सका तथा अनुपलब्धता को पूरा करने के लिए पुर्जों का उद्धार तथा स्वतः उत्पादन किया गया। यह उत्तर इस तथ्य का सांकेतिक है कि ओवरहाल के उद्देश्य 'झिरो आवर झिरो किलोमीटर' स्थिति को हासिल नहीं किया जा सका।

2.4.5 परीक्षण बगैर ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी किया जाना

हमने देखा कि, कुछ विशिष्ट परीक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण, ओवरहाल किए गए उपकरण को परीक्षण किए बगैर ही युनिटों को जारी किया गया जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

i ओवरहाल किए गए उपकरण को बिना टेस्ट फायरिंग के जारी करना

एबीडब्ल्यू में टैंक टी-72 की टेस्ट फायरिंग सुविधा का अभाव पाया गया। तथापि, एमजीओ ने बिना परीक्षण किए टैंकों को भेजने के लिए इस शर्त पर विशेष संस्वीकृति प्रदान की, कि यह परीक्षण प्रभावित युनिटों द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक फायरिंग के समय किया जाएगा।

ii विशेष मशीनी औजार (एसएमटी), विशेष जाँच उपकरण (एसटीई) तथा औजारों/जिग्स का अत्यधिक अभाव

हमने देखा कि, विशेष मशीनी औजारों/विशेष जाँच उपकरण/औजारों जिग्स जैसे कि, युनिवर्सल गन पुल बंक ऐपरेट्स, टी-72 के गन पोर्शन की गुणवत्ता जाँच (क्यूसी) के लिए आवश्यक कम्पोजिट रिंग, टी-72 के ऑटो पोर्शन की गुणवत्ता जाँच करने के लिए मल्टिपर्पज़ स्लिंग संयंत्र, गियर बाक्स के चढ़ाने तथा उतारने के लिए आय बोल्ट और ट्रैक्स को बिना निकाले चक्कों के लगाने तथा हटाने के लिए गार्ड डिस्क इत्यादि का एबीडब्ल्यू में अभाव था। महत्वपूर्ण एसएमटी/एसटीई/टीजे के अभावों के बारे में 2011-12 से बताया गया है।

2.5 512 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), किरकी

512 एबीडब्ल्यू को बीएमपी II तथा उनके विभिन्न प्रकार, एआरवी, तथा बीएमपी (यूटीडी-20 इंजिन) से संबंधित इंजिनों की मरम्मत तथा ओवरहाल का कार्य सौंपा गया है। एबीडब्ल्यू मरम्मत योग्य वाहनों को सीएफवीडी से प्राप्त करते हैं तथा ओवरहाल के उपरांत उन्हें वापस भेजे जाते हैं, जो 512 एबीडब्ल्यू के फीडिंग डिपो के रूप में मनोनित है।

2.5.1 ओवरहाल लक्ष्यों को प्राप्त न किया जाना

512 एबीडब्ल्यू भी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मिड-टर्म पुनरीक्षण बैठकों में निश्चित मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य, के व्योरे नीचे तालिका -11 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 11: 512 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल लक्ष्यों को हासिल न किया जाना

उपकरण→	बीएमपी II/IIके			एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2			यूटीडी- 20 इंजिन		
	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	120	46	46	10	4	शून्य	150	135	135
2011-12	100	85	85	10	2	2	150	110	110
2012-13	116 + 4 (IIके)	96	85	2	2	2	150	50	41
2013-14	114 + 6 (IIके)	120	102 + 2 (IIके)	2	2	शून्य	150	150	115
2014-15	145 + 5 (IIके)	96 + 9 (IIके)	97 + 9 (IIके)	2	10	03	150	135	147
2015-16	150	150	70	20	13	13	150	150	150

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि, मूल लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्य कम थे। बीएमपी में 13 से 62 प्रतिशत के बीच थे, एआरवीडब्ल्यू डेडटी-2 में 0 से 100 प्रतिशत के बीच थे तथा यूटीडी-20 इंजिनों में 0 से 73 प्रतिशत के बीच थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकारते हुए 512 एबीडब्ल्यू ने कहा (जुलाई 2015) कि, माँग के अनुसार समय पर उपकरण या पुर्जों की आपूर्ति नहीं की गई। इस कारण अनुवर्ती पुनरीक्षण में लक्ष्य घटाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि, कुछ क्रिटिकल पुर्जों/एसेम्बलियों की अनुपलब्धता के कारण ओवरहाल किए गए 110 (आईसी) बीएमपी जिनके लिए विचलन¹⁵ संस्वीकृतियाँ प्रतीक्षित थी, उनके पास रखे हुए थे।

2005 में मंत्रालय द्वारा पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करने के आश्वासन के बावजूद, एबीडब्ल्यू उनके ओवरहाल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पुर्जों को प्राप्त नहीं कर पाया जिसके फलस्वरूप बैंकलॉग में वृद्धि तथा सामरिक तैयारी प्रभावित हुई। तथापि, जहाँ तक मरम्मतयोग्य उपकरणों की उपलब्धता का संबंध है, हमने देखा कि, 512 एबीडब्ल्यू किसी भी समय निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीएमपी को धारण किए हुए था, इस वजह से मरम्मतीय सामग्री की अनुपलब्धता लक्ष्यों की अप्राप्ति का कारण नहीं हो सकता।

2.5.2 ओवरहाल में विलम्ब

विद्यमान मानदंडों के अनुसार, बीएमपी वाहन के ओवरहाल को 153 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है। आदर्श परिस्थितियों में इंजिन के ओवरहाल के लिए, 512 एबीडब्ल्यू ने एक माह की समय सीमा तय की थी।

¹⁵विचलन संस्वीकृतियाँ- विचलन मतलब मानक मानदण्डों से विचलित होना जो कि, विशिष्ट उपकरण के ओवरहाल के लिए निर्धारित किया जाता है अर्थात योग्य सामग्री परन्तु उपयोगी नहीं हो पाना, सभी जाँचों को नहीं किया जाना, सामग्रियों का पुनः प्राप्ति इत्यादि लाईन निदेशालय से परामर्श करने पर एमजीओ द्वारा यह संस्वीकृतियाँ प्रदान की जाती है।

तथापि हमने देखा कि, बीएमपी तथा इंजिनों का ओवरहाल निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जा सका। पुनरीक्षणधीन अवधि के दौरान, बीएमपी के ओवरहाल के लिए लिया गया समय 1512 दिनों के बीच रहा। इस प्रकार ऐसे विलंबन के कारण उपकरण की उपलब्धि ही न सिर्फ हुई, बल्कि रखे जाने के कारण उपकरण की प्रभावपूर्ण आयु (13 प्रतिशत) भी नष्ट हो गई। इसी प्रकार, प्रत्येक युटीडी-20 इंजन जो कि बीएमपी के लिए है के ओवरहाल के लिए लिया गया औसत समय 308 दिनों का था, जो 30 दिनों के अनुबद्ध समय सीमा से 10 गुना ज्यादा था। नीचे दी गई तालिका-12 पिछले छह वर्षों के दौरान ओवरहाल में विलंब की स्थिति का वर्णन करता है।

तालिका 12: ओवरहाल में विलंब

वर्ष	उपकरण	ओएच के लिए लिया गया उपकरण (संख्या)	किया गया ओवरहाल (संख्या)	समय सीमा के भीतर किया गया ओवरहाल	ओवरहाल के लिए लिया गया समय (दिन)		समय सीमा को छोड़कर ओवरहाल के लिए गया समय	
					न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	बीएमपी	73	73	00	243	1512	90	1359
	युटीडी इंजन	130	130	00	167	799	137	769
2011-12	बीएमपी	53	53	00	324	1154	171	1001
	युटीडी इंजन	116	116	00	209	829	179	799
2012-13	बीएमपी	79	79	00	737	962	584	808
	युटीडी इंजन	56	56	00	257	693	227	663
2013-14	बीएमपी	113	113	00	502	618	349	465
	युटीडी इंजन	61	61	00	88	521	58	491
2014-15	बीएमपी	56	36 [#]	00	333	616	180	463
	युटीडी इंजन	78	68	00	406	152	376	122
2015-16	बीएमपी	96	00 [#]	00	-	-	-	-
	युटीडी इंजन	156	66	00	310	74	280	44

वर्ष 2014-15 में ओवरहाल के लिए गए बीस तथा वर्ष 2015-16 में ओवरहाल के लिए गए सभी बीएमपी 31 मार्च 2016 को ओवरहाल के लिए बकाया थे।

एमजीओ ने अपने उत्तर में (मई 2016) बताया कि, समय सीमा का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि, उत्पादन वर्ष की शुरूआत में ही ओवरहाल मानदंडों के अनुसार प्राधिकृत पुर्जे उपलब्ध रहेंगे। ओवरहाल में विलंब पूर्णतया पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हुआ।

2.5.3 ओवरहाल किए गए उपकरणों को युनिटों को जारी करने में विलंब

आरओ के देरी से जारी होने के कारण हुए विलंब तथा सीएएफवीडी, किरकी द्वारा देरी से किए गए प्रेषण का विश्लेषण निम्नलिखित है:

(अ) निर्गत आदेशों (आरओ) के जारी करने में विलंब:

पुनरीक्षण अवधि के दौरान 512 एबीडब्ल्यू द्वारा ओवरहाल किए गए 499 बीएमपी सीएएफवीडी द्वारा प्राप्त किए गए जिनमें से डीजीओएस द्वारा 102 बीएमपी के आरओ जारी करने में विलंब हुआ। यह दो महीनों से लेकर एक वर्ष से अधिक के बीच रहा जिसे नीचे तालिका-13 में निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 13: ओवरहाल किए हुए बीएमपी के विषय में आरओ को जारी करने में विलंब

वर्ष	सीएएफवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए बीएमपी की संख्या	सेना मुख्यालय द्वारा जारी निर्गत आदेश					
		ग्रहण पूर्व स्थिति	0-60 दिन	61-120 दिन	121-180 दिन	181-365 दिन	366 दिन और ऊपर
2010-11	110	47	09	15	19	18	02
2011-12	51	45	-	-	-	-	06

2012-13	54	38	09	02	03	02	-
2013-14	24	09	08	02	-	05	-
2014-15	77	40	35	-	01	01	-
2015-16	183	09	99	16	10	-	-
@							
कुल	499	188	160	35	33	26	08

@ मार्च 2016 तक 49 बीएमपी के संबंध में निर्गत आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया था।

उत्तर में, एमजीओ ने बताया (जुलाई 2016) कि निर्गत आदेश को जारी करने में उनकी ओर से कोई देरी नहीं हुई। सीएफवीडी किरकी में मौजूद बीएमपी की सूची प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर इसे जारी कर दिया गया था। यह उत्तर इस तथ्य को ओर संकेत करता है कि, यह देरी सीएफवीडी, किरकी के स्तर पर हुई, जो आयुध शाखा का भाग है, और जो एमजीओ के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार डिपो पर डाली गई जिम्मेवारी ठीक नहीं थी।

(ब) प्रेषण में विलंब

डीजीओएस सेना मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के जारी करने में विलंब के अतिरिक्त सीएफवीडी द्वारा युनिट/फार्मेशन को बीएमपी को भेजने में भी विलंब हुआ, जिसे तालिका-14 में दर्शाया गया है:

तालिका 14 : सीएफवीडी द्वारा प्राप्त किए गए ओवरहाल बीएमपी के प्रेषण में लिया गया समय

वर्ष	सीएफवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए बीएमपी की संख्या	सीएफवीडी द्वारा प्राप्त किए गए ओवरहाल बीएमपी के प्रेषण में लिया गया समय					
		0-60 दिन	61-120 दिन	121-180 दिन	181-365 दिन	366-730 दिन	730 दिनों से अधिक
2010-11	110	06	46	27	29	01	01
2011-12	51	15	08	01	02	22	03
2012-13	54	09	10	10	13	12	-
2013-14	24	-	-	04	-	20	-
2014-15	77	12	40	18	07	-	-
2015-16	183	65	33	03	-	-	-
कुल	499	107	137	63	51	55	04

नोट- मार्च 2016 को 82 बीएमपी अभी भी जारी किए जाने शेष थे

हमने देखा कि, सेना मुख्यालय से आरओ की पावती मिलने के पश्चात भी ओवरहाल बीएमपी प्रेषण के 12 प्रतिशत मामलों में (अर्थात 417 में से 51) छ: महीनों से एक साल तक विलंब तथा 14 प्रतिशत मामलों में (अर्थात 417 में से 59) एक साल से अधिक (1796 दिनों का अधिकतम विलंब) विलंब हुआ।

2.5.4 ओवरहाल किए गए बीएमपी की गुणवत्ता

हमने यह भी देखा कि, निष्कृष्ट दर्जे की सामग्रियों तथा खराब कारिगरी के प्रयोग के कारण प्रयोक्ताओं को जारी किए गए ओवरहाल किए गए बीएमपी के गुणवत्ता इन्डेक्स में कमी थी। यहाँ तक कि एबीडब्ल्यू में भी पर्याप्त जाँच सुविधाओं की कमी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(i) न्यूनतम गुणवत्ता इन्डेक्स

दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओवरहाल किए गए बीएमपी के लिए क्यूआई 95 होना चाहिए। हमने देखा कि, हासिल किया गया क्यूआई तकनीकी अनुदेशों में निर्धारित सीमा के बहुत नीचे था तथा इस गिरावट के बावजूद भी उपकरण को डिपो को जारी कर दिया गया। बीएमपी के लिए हासिल किए गए गुणवत्ता इन्डेक्स को नीचे तालिका-15 में दर्शाया गया है:

तालिका 15: ओवरहाल किए गए उपकरण का गुणवत्ता इन्डेक्स

वर्ष	बीएमपी	
	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	31.44	65.83
2011-12	60.65	70.04
2012-13	57.10	75.37
2013-14*	-	-
2014-15	58.40	71.84
2015-16	70.28	77.40

*इस अवधि दौरान बीडब्ल्यूजी के क्यूए विंग द्वारा निरीक्षण किया गया था।

हमने देखा कि, कई वर्षों में त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती रही तथा बीएमपी के मुख्य सब-सिस्टमों में त्रुटियों की संख्या में वृद्धि भी होती रही। स्वचलन भाग के लिए 2010-11 में जहाँ त्रुटियों के प्रकार मात्र 10 थे, वही 2014-15 में बढ़कर 126 हो गए। इसी प्रकार, आयुध भाग, यंत्र भाग, टीसीएम भाग तथा इलेक्ट्रिक भाग के प्रकारों में 480 से 1017 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पिछले छः वर्षों के दौरान अनुभागवार त्रुटियों को नीचे तालिका -16 में संक्षेपित किया गया है:-

तालिका 16:ओवरहाल किए गए उपकरण की त्रुटियों की नित्यता

वर्ष	स्वचलन भाग		आयुध भाग		यंत्र भाग		टीसीएम भाग		इलेक्ट्रिक भाग	
	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या
जुलाई 2010-जून 2011	10	एनए	4	एनए	5	एनए	6	एनए	4	एनए
जुलाई 2011-जून 2012	19	419	4	87	21	537	8	123	8	157
जुलाई 2012-जून 2013	35	836	8	180	41	1481	38	553	7	56
जुलाई 2013-जून 2014	88	2945	19	273	14	284	21	483	27	187
जुलाई 2014-जून 2015	126	3081	34	630	24	429	61	787	31	384
जुलाई 2015-मार्च 2016	एनए	6334	एनए	1769	एनए	1913	एनए	2645	एनए	1236

एनए - उपलब्ध नहीं

एमजीओ (मई 2016) ने अपने उत्तर में यह माना कि, लक्षित गुणवत्ता इन्डेक्स को पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हासिल नहीं किया जा सका। इस अनुपलब्धता को पूरा करने के लिए पुर्जों का उद्धार तथा स्वतः उत्पादन किया गया। यह उत्तर इस तथ्य का सांकेतिक है कि ओवरहाल के उद्देश्य 'झिरो आवर झिरो किलोमीटर' स्थिति को हासिल नहीं किया जा सका और उपकरण को समझौता युक्त गुणवत्ता के साथ जारी किया गया।

(ii) परीक्षण के बिना ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी करना

हमने देखा कि, 512 एबीडब्ल्यू में कुछ विशिष्ट जाँच सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण किए बगैर ओवरहाल किए गए उपकरण को युनिटों को जारी कर दिया गया जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

अ. ओवरहाल किए गए बीएमपी की उभयचर क्षमताओं का तदर्थ परीक्षण

डिप टेस्टिंग व ओवरहाल किए गए बीएमपी की उभयचर क्षमताओं का परीक्षण के लिए हल के समान भारित सामग्री की आवश्यकता है। ओईएम सिफारिश के अनुसार यह परीक्षण उभयचर क्षमताओं की जाँच की पूर्व शर्त है।

हमने देखा कि, प्रतिभार की गैर-मौजूदगी में परीक्षण के लिए हल संयंत्र पर कर्मचारियों को खड़ा करके जाँच परीक्षण किया गया।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल किए गए बीएमपी की उभयचर परीक्षण में कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि, ओईएम द्वारा दिए गए परिमाण के अनुसार प्रतिभार की गैर मौजूदगी में योग्य प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के तहत उसी के समतुल्य भार को बीएमपी पर रखा गया। तथापि, यह तथ्य बना रहा कि, ओईएम की सिफारिश के अनुसार अनिवार्य परीक्षण को बिना योग्य परीक्षण सुविधा के करवाया गया।

ब. टेस्ट फायरिंग के बगैर बीएमपी को जारी करना

512 में टेस्ट फायरिंग सुविधा तथा गोला-बारूद की कमी के कारण ओवरहाल किए गए बीएमपी को प्रूफ फायरिंग के बगैर जारी किया गया। इस मामले की विस्तृत चर्चा अध्याय - II के पैराग्राफ 3.4 में की गई है। उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, प्रयोक्ता फायरिंग रेंजों पर टेस्ट फायरिंग के दौरान एबीडब्ल्यू के प्रतिनिधि मौजूद थे, अतः शत प्रतिशत बीएमपी की प्रूफ फायरिंग की गई थी। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, उपकरण का संपूर्ण परीक्षण के पश्चात ही प्रयोक्ता युनिटों को जारी किया जाना चाहिए था।

क. विशेष मशीनी औजार (एसएमटीस), विशेष औजार उपकरण (एसटीस), टूल्स/जिम्स (टीजेस) की मुख्य कमियाँ

हमने देखा कि, विशेष मशीनी औजारों/विशेष जाँच उपकरण/जाँच जिम्स जैसे कि, युनिवर्सल गन पुल बॅक ऐपरेटस, गियर बाक्स के चढ़ान तथा उतारने के लिए आय बोल्ट और ट्रॅक्सों को बिना निकाले चक्कों के लगाने तथा हटाने के लिए गार्ड डिस्क इत्यादि का एबीडब्ल्यू में अभाव था। महत्वपूर्ण एसएमटी/एसटीई/टीजे के अभावों के बारे में 2011-12 से बताया गया है।

उत्तर में बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि प्रभावशालीता को बढ़ाने तथा समय की बचत हेतु डिजिटल औजारों की माँग की गई थी परंतु ये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। डिजिटल परीक्षण उपकरण की गैरमौजूदगी में, क्यूए/क्यूसी की जाँच रूढ़िगत संयंत्रों के द्वारा की गई।

यह उत्तर कि, रूढ़िगत पद्धति से क्यूए/क्यूसी जाँच को किया गया था, इस तथ्य को सूचित करता है कि इन परीक्षण उपकरण की गैर मौजूदगी में क्यूए/क्यूसी जाँच न सिर्फ ज़्यादा समय लेती है बल्कि कम प्रभावी होती है। इसके परिणामस्वरूप ओवरहाल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव हुआ।

(iii) प्रयोक्ता से ओवरहाल किए गए उपकरण पर प्रतिक्रिया

बीडब्ल्यूजी मुख्यालय (जनवरी 2005) ने प्रयोक्ता को उपकरण मिलने के पश्चात छह महीनों के भीतर एबीडब्ल्यू द्वारा ओवरहाल किए गए उपकरण पर प्रतिक्रिया रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए थे। प्रतिक्रिया रिपोर्ट में ओवरहाल किए उपकरण को तीन वर्गों अर्थात् उत्तम, अच्छा तथा असंतोषजनक के रूप में निर्धारित किया जाना था।

हमने देखा कि एबीडब्ल्यू द्वारा किए गए ओवरहाल कार्य की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रतिक्रिया रिपोर्ट में फायरिंग के दौरान बॅरल स्प्रींग का टूटना, ऑइल पंप से रिसाव, फ्लाय व्हील का रिसाव, त्रुटिपूर्ण औजार तथा एक्सैसरिज, असंतोषजनक नाइट विज़न इत्यादि से समाहित थीं। ओवरहाल किए गए बीएमपी में महत्वपूर्ण उपकरण जैसे कि गन, विजन साईट, रख रखाव कीटें इत्यादि की अनापूर्ति ने 'झिरो आवर झिरो किलोमीटर'

के उद्देश्य को पूरा नहीं किया। इन अभावों के बावजूद हमने देखा कि पुनरीक्षणाधिन अवधि के दौरान प्राप्त 295 प्रतिक्रिया रिपोर्टों में से 16 को उत्तम, 132 अच्छा तथा 147 को संतोषजनक श्रेणी दी गई थी। उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, प्रयोक्ता ओवरहाल किए गए उपकरण को या तो युद्ध के लिए फिट या अनफिट समझता है और तदनुसार वह अच्छा या संतोषजनक ही लिखता है। अतः ओवरहाल निष्पादन का प्रयोक्ता द्वारा किया गया वर्गीकरण के साथ मिलान का सहसंबंध प्रस्तापित करने में कोई सुसंगति नहीं है। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, फिट या अनफिट यह निष्कर्ष नहीं है जिनपर प्रतिक्रिया रिपोर्ट के अधिन ओवरहाल की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया माँगी गई थी। विशिष्ट उपकरण की आपूर्ति में अभाव के साथ-साथ मात्र पाँच प्रतिशत ओवरहाल उपकरणों को उत्तम कहा जाना ही ओवरहाल के गुणवत्ता पर टीका-टिप्पण है।

2.6 509 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), आगरा

509 एबीडब्ल्यू डिजल जनरेटरों सहित संचार पद्धतियों, रडारों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत और ओवरहाल के लिए जिम्मेवार है। प्रयोक्ता युनिटें ओवरहाल के लिए देय उपकरण को सीधे जमा करते हैं तथा ओवरहाल के पश्चात उसे एबीडब्ल्यू से प्राप्त भी करते हैं।

सिग्नल उपकरण के मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य, के व्योरे नीचे तालिका-17 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 17: सिग्नल उपकरणों के लिए ओवरहाल लक्ष्यों को हासिल न किया जाना

उपकरण→	रडार फ्लाय केंचर			रडार टीसी रिपोर्टर			बीएफएसआर (एमआर)			जनसेट 30 केवीए		
	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	12	12	12	5	5	5	25	25	25	55	55	55
2011-12	24	18	18	10	5	5	25	19	19	65	44	44
2012-13	24	18	18	15	08	08	25	20	20	65	32	32
2013-14	24	12	12	15	07	07	25	25	25	30	24	24
2014-15	24	12	12	15	06	06	25	25	25	65	25	25
2015-16	30	30	24	15	15	14	-	-	-	55	55	40

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, मूल लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्यों में कमी पायी गई जो कि रडार फ्लाय केंचर के विषय में लगभग 50 प्रतिशत, रडार टीसी रिपोर्टर के विषय में लगभग 60 प्रतिशत तथा जन सेट 30 केवीए के विषय में 62 प्रतिशत थी। बीएफएसआर (एमआर) के विषय में, 2011-13 के दौरान यह सबसे कम देखी गई।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, आयुध फॅक्टरियों/डीपीएसयू से पुर्जों की अनुपलब्धता तथा देशीकरण की मंद गति के कारण लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। लक्ष्यों को हासिल न किए जाने के अन्य कारणों में ओवरहाल के लिए उपकरण का उपलब्ध न हो पाना था क्योंकि, सामरिक क्षेत्र से उपकरण को सामरिक परिस्थितियों की वजह से हटाया नहीं जा सकता था। तथापि यह तथ्य है कि, क्रिटिकल सिग्नल तथा निगरानी उपकरण के मुख्य घटकों को अभी भी ओवरहाल किया जाना बाकी है जिसके कारण संचार तथा निगरानी प्रकार्य के साथ समझौता करना पड़ा।

2.6.1 सिग्नल उपकरणों के ओवरहाल में विलंब

रडारों/जनरेटरों के ओवरहाल के लिए भी समय-सीमा निश्चित की गई थी। तथापि, हमने देखा कि, पुनरीक्षण अवधि के दौरान इन उपकरणों के ओवरहाल हेतु लिया गया समय निश्चित किए गए समय-सीमा से बहुत अधिक रहा। पिछले छह सालों में 381 ओवरहाल किए गए सिग्नल उपकरणों में से मात्र 9 उपकरण ही समय सीमा के भीतर ओवरहाल किए गए। रडार फ्लायकैचर के मामले में यह विलंब लगभग 921 दिनों तक रहा। पुनरीक्षणाधीन अवधि के दौरान इन उपकरणों के ओवरहाल में हुए विलंब को नीचे तालिका-18 में दर्शाया गया है:

तालिका 18: 509 एबीडब्ल्यू में उपकरण के ओवरहाल में विलंब

उपकरण	ओवरहाल किया गया उपकरण (संख्या)	मानदण्डों के अनुसार ओवरहाल का समय (दिनों में)	ओवरहाल किया गया उपकरण				ओवरहाल के लिए लिया गया अधिकतम समय (दिनों में)	ओवरहाल के लिए लिया गया औसतन समय (दिनों में)
			निर्धारित समय सीमा के भीतर	100 दिनों के भीतर	101 से 200 दिनों के भीतर	201 दिन तथा ऊपर		
रडार फ्लाय कैचर	96	70	09	13	40	34	921	200
टीसी रिपोर्टर	45	70	00	01	09	35	467	314
बीएफएसआर (एमआर)	109	07	00	39	44	26	664	146
जन सेट 30 केबीए	131	21	00	12	45	74	544	241
कुल	381	-	9	65	138	169	-	-

2.6.2 युनिटों को सिग्नल उपकरण के प्रेषण में विलंब

हमने देखा कि, 509 एबीडब्ल्यू द्वारा 2010-11 से 2015-16 (मार्च 2016) के दौरान ओवरहाल किए गए निम्नलिखित उपकरणों को युनिटों से प्राप्त करने वाली पार्टियों के न आने के कारण उपकरण जारी नहीं किया जा सका। यह उपकरण अभी भी एबीडब्ल्यू में मौजूद थे। ऐसे उपकरणों के वर्षवार व्योरो को नीचे तालिका-19 में दर्शाया गया है।

तालिका 19: ओवरहाल किए गए उपकरण को युनिटों द्वारा ग्रहण करना शेष है

वर्ष	उपकरण का प्रकार				कुल उपकरण
	संचार	यंत्र	रडार	पावर	
2010-11	01	01	-	-	02
2011-12	-	-	05	-	05
2012-13	04	-	35	01	40
2013-14	09	20	09	03	41
2014-15	27	65	24	-	116
2015-16	-	-	10	16	26

2.7 510 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), मेरठ

510 एबीडब्ल्यू विभिन्न इंजिनियरिंग उपकरण तथा विशेष वाहनों के ओवरहाल का कार्य करता है। मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य, के व्योरों नीचे तालिका-20 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 20:ओवरहाल लक्ष्यों के प्राप्ति की स्थिति

उपकरण→	फगोट/कॉन्कुर			फ्लेम लॉचर I और II			झिल 131			कोलस टाट्रा			एचआरवी एवी 15		
	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	300	200	200	25	25	25	35	38	38	80	50	52	-	-	-
2011-12	225	225	250	50	50	50	40	40	37	50	50	50	-	1	1
2012-13	250	250	250	100	65	66	40	42	42	60	60	60	5	5	5
2013-14	350	320	306	100	85	107	45	35	32	50	50	52	10	10	8
2014-15	380	380	380	70	70	71	40	38	38	20	25	27	10	9	1
2015-16	380	380	380	70	77	77	25	25	27	30	30	30	15	15	15

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि, 510 एबीडब्ल्यू ने 2013-14 में फॅगोट/कॉन्कुर, 2011-12 तथा 2013-14 में झिल-131 और 2013-14 तथा 2014-15 में एचआरवी एवी-15 को छोड़कर, सामान्यतः लक्ष्यों को हासिल किया है।

2.7.1 श्रेणी 'बी' वाहनों - स्कॅनिया, टाट्रा तथा क्राज़ के लिए ओवरहाल पॉलिसी का न होना

रक्षा मंत्रालय ने "आर्मी बेस वर्कशॉपों के पुनरीक्षण" पर 1992 की प्रतिवेदन संख्या 14 पर कार्रवाई की गई टिप्पणी में यह बताया था कि, उपकरण को शामिल किए जाने से पूर्व प्रयोक्ताओं, आयुध तथा ईएमई डायरेक्टोरेट के साथ परामर्श करते हुए एमजीओ द्वारा उपकरण प्रबंधन नीति विवरण जारी की जाती है। तथापि हमने देखा कि, स्कॅनिया, क्राज़-255 बी/बी1, टाट्रा टी-815 के लिए बीडब्ल्यूजी मुख्यालय तथा संबंधित वर्कशॉपों के पास कोई ओवरहाल पॉलिसी मौजूद नहीं थी। वर्तमान में, बेस वर्कशॉप ईएमई डायरेक्टोरेट के निर्देशों के अनुसार ओवरहाल के लिए आठ वर्षों या उससे ऊपर के पुराने वाहनों को स्वीकार कर रही है।

2.8 515 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), बंगलुरु

भारतीय सेना द्वारा धारित विभिन्न उपकरणों के लिए पुर्जों की निर्मिती तथा देशीकरण करना 515 एबीडब्ल्यू का प्रारंभिक कार्य है। इसके अलावा, वर्कशॉप फील्ड सेना के लिए सिमुलेटरों का निर्माण तथा एविएशन रोटेबलों का ओवरहाल भी करता है।

सौंपे गए कार्य के संदर्भ में उसकी प्रभावशालिता को निर्धारित करने के लिए वर्कशॉप के निष्पादन कार्य का हमने विश्लेषण किया था और यह पाया कि, वर्कशॉप ने एविएशन रोटेबलों का ओवरहाल कार्य शुरू नहीं किया था। हमने यह भी देखा कि, पुर्जों के निर्माण के लिए आंबटित समय सूचि का पालन वर्कशॉप नहीं कर पाया। हमारे निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है:

2.8.1 वैमानन रोटेबलों के ओवरहाल की शुरूआत न होना

भारतीय सेना के चेतक और चीता हेलिकॉप्टरों के रोटेबलों का ओवरहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भविष्य में इंजिनियरिंग सहायता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 2005 में सेना मुख्यालय द्वारा, वैमानन रोटेबलों के ओवरहाल के कार्य को करने की जिम्मेवारी एबीडब्ल्यू पर सौंपी गई थी। हमने देखा कि, रक्षा मंत्रालय ने, जून 2011 में 99 रोटेबलों के ओवरहाल के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। परन्तु दिसंबर 2014 में एमजीओ (एवीएन) द्वारा उस लक्ष्य को बाद में 23 तक घटाया गया था।

दिसंबर 2006 में, रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹ 1.94 करोड़ की अनुमानित लागत पर रिपेयर शेड के सिविल कार्य की संस्कृति दी गई थी, जिसे अप्रैल 2008 में ₹ 3.20 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया था। इस रिपेयर शेड का निर्माण कार्य अप्रैल 2010 में पूरा हुआ था। सितंबर 2005 तथा अक्तूबर 2014 अवधि के दौरान, एबीडब्ल्यू ने 76 प्लांट, मशीनरी तथा विशेष उपकरणों (पीएमएसई) की अधिप्राप्ति की थी जिसमें, 56 पीएमएसई की लागत ₹ 48.96 लाख थी। इस ओवरहाल को करने के उद्देश्य से 47 कार्मिकों को भी तैनात

किया गया था। तथापि, कोई भी ओवरहाल कार्य शुरू (दिसंबर 2015) नहीं किया जा सका क्योंकि एबीडब्ल्यू को एमजीओ (वैमानन) द्वारा अभी तक ओवरहाल के लिए रोटेबलों तथा पुर्जों की आपूर्ति के लिए केंद्रीय वैमानन आपूर्ति डिपो (सीएएसडी) की डिपेंडेंसी लिस्ट में नहीं रखा गया था।

इस प्रश्न कि, एबीडब्ल्यू में रोटेबलों का ओवरहाल क्यों शुरू नहीं किया गया, के उत्तर में यह सूचित (दिसंबर 2015) किया गया कि, डीजीओएस ने रोटेबलों की मरम्मत तथा ओवरहाल कार्य एबीडब्ल्यू के लिए आरक्षित करने की माँग पर एमजीओ (वैमानन) को सूचित करते हुए यह शंका जताई कि, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व्यापक मरम्मत तथा ओवरहाल सुविधाओं को प्रदान कर रहा है तथा अत्यावश्यक माँग को पूरा करने में सक्षम है। साथ ही वह उसी स्टेशन पर स्थित है।

एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि 2016-17 के उत्पादन वर्ष में 23 में से 13 रोटेबलों का ओवरहाल कार्य शुरू कर दिया गया है। चूँकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ओवरहाल सुविधा पहले से ही मौजूद थी और 118 रोटेबलों में से मात्र 23 रोटेबलों का ही ओवरहाल कार्य यहाँ किया जाने वाला है, 515 एबीडब्ल्यू में ₹ 3.69 करोड़ की लागत पर आधारभूत संरचना का निर्माण करने में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।

2.8.2 कार्य आदेशों के कार्यान्वयन में असामान्य विलंब

माँगकर्ताओं द्वारा तात्कालिक प्रायोजन के आधार पर पुर्जों के निर्माण हेतु कार्य आदेशों (डब्ल्यू ओ) को तीन वर्गों में बाँटा जाता है जिसे नीचे तालिका-21 में दर्शाया गया है।

तालिका 21: कार्य आदेशों का वर्गीकरण

वर्गीकरण	समापन की अवधि
ओपरेशनल इमीडियेंट (ओपीआई)	12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना
प्रायोरिटी (पीटीवाय)	24 महीनों के भीतर पूरा किया जाना
रूटीन (आरयूटी)	36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना

हमने देखा कि, 'ओपीआई' वर्ग के कार्य आदेश जिसे आयुध डिपो द्वारा एबीडब्ल्यू को दिए गए थे, में से मात्र 27 प्रतिशत कार्य निर्धारित समय के अंदर सम्पन्न हुए थे। कुछ मामलों में, लिया गया समय लगभग 93 महीनों का था जिसने 'ओपीआई' वर्गीकरण के उद्देश्य को ही विफल कर दिया। 'प्रायोरिटी' एवं 'रूटीन' कार्य आदेशों के विषय में, निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रमशः 65 एवं 90 प्रतिशत कार्य पूरे हो पाए थे जिसे नीचे तालिका-22 में दर्शाया गया है:

तालिका 22: पुर्जों के निर्माण के लिए लिया गया समय

ओपीआई वर्ग					
वर्ष	पूरे किए गए कार्य आदेशों की कुल संख्या	एक वर्ष के भीतर	एक से दो वर्षों के भीतर	दो वर्ष तथा उससे ऊपर	अधिकतम अवधि महीनों में
2010-11	258	151	73	34	66 महीने
2011-12	353	116	183	54	86 महीने
2012-13	167	29	61	77	65 महीने
2013-14	252	67	56	129	76 महीने
2014-15	210	11	49	150	93 महीने
2015-16	180	11	09	160	84 महीने
कुल	1420	385	431	604	
पीटीवाय वर्ग					
वर्ष	पूरे किए गए कार्य आदेशों की कुल संख्या	दो वर्षों के भीतर	दो से तीन वर्षों के भीतर	तीन वर्ष तथा उससे ऊपर	अधिकतम अवधि महीनों में
2010-11	175	136	29	10	47 महीने

आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा

2011-12	167	112	36	19	57 महीने
2012-13	149	109	18	22	75 महीने
2013-14	238	163	12	63	79 महीने
2014-15	217	119	26	72	80 महीने
2015-16	155	78	30	47	79 महीने
कुल	1101	717	151	233	
आरयूटी वर्ग					
वर्ष	पूरे किए गए कार्य आदेशों की कुल संख्या	तीन वर्षों के भीतर	तीन से चार वर्षों के भीतर	चार वर्ष तथा उससे ऊपर	अधिकतम अवधि महीनों में
2010-11	295	290	04	01	51 महीने
2011-12	278	269	07	02	57 महीने
2012-13	360	333	26	01	49 महीने
2013-14	412	348	17	47	60 महीने
2014-15	471	403	38	30	93 महीने
2015-16	529	456	59	14	72 महीने
कुल	2345	2099	151	95	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, अधिकतम विलंब 'ओपीआई' वर्ग में हुआ था तथा निर्धारित समय के भीतर पूर्ण होने वाले कार्य आदेशों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में घटती रही है। एबीडब्ल्यू पर अधिकतर कार्य आदेश विभिन्न आयुध डिपो द्वारा उन पुर्जों की निर्मिति करने के लिए थे जिन्हें ओवरहाल की आवश्यकता थी।

हमने यह भी देखा कि, जहाँ मार्च 2016 को 1348 कार्य आदेश बकाया थे वहीं 1 अप्रैल 2010 को बकाया कार्य आदेश 1707 थे। बकाया कार्य आदेशों का आयुवार विश्लेषण यह उद्घाटित करता है कि, सबसे पुराने बकाया कार्य आदेश 2007-08 के थे।

एमजीओ ने उत्तर (मई 2016) में यह माना कि, निर्माण में विलंब न सिर्फ अप्राप्त सैम्पलों, ड्राईंग और सामग्री के अधिप्राप्ति में देरी की वजह से हुआ, अपितु सामग्री के परीक्षण में हुए विलंब तथा उत्पादन में आयी असफलता के कारण भी हुआ।

एमजीओ द्वारा दिए गए कारणों के होते हुए भी, मामले का यह तथ्य है कि, निर्मिति में आने वाला विलंब पुर्जों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है जिसकी ओवरहाल के लिए आवश्यकता होती है। चूँकि, एबीडब्ल्यू को स्वदेशीकरण तथा पुर्जों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, उनके द्वारा इन अवरोधों को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्रणा बनाने की आवश्यकता थी। जब वर्कशॉप में ड्राईंग अनुभाग पूर्णतः सुस्ज्जित था, तो इस उपलब्ध सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए थे। इन वर्षों में परीक्षण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए था।

2.8.3 त्रुटि रिपोर्टों की मॉनिटरिंग न किया जाना

515 एबीडब्ल्यू को, उनके द्वारा निर्माण की गई सामग्रियों तथा उसे जारी करने के पश्चात् उसमें आयी त्रुटियों पर रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। यद्यपि हमने देखा कि इन रिपोर्टों की मॉनिटरिंग तथा परिवर्तित त्रुटिपूर्ण सामग्रियों से संबंधित दस्तावेजों को एबीडब्ल्यू द्वारा बरकरार नहीं रखा गया।

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि, क्योंकि पुर्जे वातावरण के प्रभाव में आते ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इसलिए यह संभव है की युनिटों/वर्कशॉपों/डिपों द्वारा त्रुटि रिपोर्टों को नहीं भिजवाया गया। यह भी बताया गया है कि, भविष्य में उन्हें त्रुटि रिपोर्ट को बनाने के लिए कहा जाएगा तथा इसके लिए एबीडब्ल्यू में मॉनिटरिंग यंत्रणा बनायी जा चुकी है।

515 एबीडब्ल्यू में त्रुटि रिपोर्ट की मॉनिटरिंग यंत्रणा मौजूद न होने के कारण, ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं लिए जा सके।

2.9 लागत लेखा प्रणाली का मौजूद न होना

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (मार्च 1994) के अनुसार, वाहन एवं इंजनों की ओवरहाल की लागत नए वाहन/इंजनों के लागत से 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे एमजीओ शाखा/डीजीईएमई द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। हमने यह देखा कि, एबीडब्ल्यू में लागत लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था। अतः एबीडब्ल्यू में ओवरहाल प्रक्रिया की लागत प्रभावशीलता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि लागत लेखाकरण पद्धति को एबीडब्ल्यू में 1995 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत मात्र श्रम और पुर्जों की लागत के लेखा को ध्यान में रखते हुए उपकरण के ओवरहाल की लागत का गणन किया जाता था। तथापि इस पद्धति को संपूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी अपनी सीमाएँ हैं जिसमें, अन्य घटकों की लागत अर्थात् एमईएस संपत्तियाँ तथा पूरक सेवाएँ जो पुरातन हो चुकी थी का गणन नहीं किया जा सका। एमजीओ द्वारा लागत लेखाकरण पद्धति के संबंध में कुछ अपर्याप्तताओं को सामने लाया गया अर्थात् आयुध द्वारा प्रावधान किए गए सभी पुर्जों की लागत की जानकारी न होना तथा ईमारत की लागत का निर्धारण न कर पाना।

इनका उत्तर इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि, मंत्रालय के लागत नियंत्रण संबंधी निर्देशों को क्रियान्वित किया जाना अभी भी बाकी है तथा इसकी गैर-मौजूदगी में एबीडब्ल्यू की किफायत एवं दक्षता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह बिंदु इस तथ्य को महत्व देता है कि, शुरुआत में एबीडब्ल्यू को जो लक्ष्य सौंपे गए थे, वे निर्माण क्षमता के संदर्भ में थे, जिन्हें प्रत्येक वर्ष निरंतर घटाया गया था। इन निर्माण क्षमताओं को एबीडब्ल्यू में तैनात मानवशक्ति के आधार पर निकाला जाता है। चूंकि मानवशक्ति पर व्यय अनिवार्य था और एबीडब्ल्यू में मौजूद निर्माण क्षमता को पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया गया था, ओवरहालों की लागत में इसकी बढ़ोत्तरी होना तो तय था।

निष्कर्ष

ओवरहाल के लिए असामान्य समय लेना, अपर्याप्त पुर्जों तथा विलम्ब और ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना की समय पर निर्मिती न हो पाने के कारण लक्ष्यों को घटाया जाने का विपरीत प्रभाव उपकरणों के ओवरहाल पर पड़ा। परिणामस्वरूप, ओवरहाल के लिए बड़ी मात्रा में उपकरणों का बैंकलॉग दिखाई पड़ा जिसने सेना की सामरिक तैयारी को भी प्रभावित किया था। ओवरहाल में विलंब के साथ-साथ, ओवरहाल किए गए उपकरण के निर्गत आदेश को जारी करने में देरी तथा उपकरण को युनिटों को भेजने में देरी वांछनीय नहीं है, क्योंकि उपकरण के प्रयोज्य आयु का एक महत्वपूर्ण समय तो वर्कशॉप/डिपो में ही बीत गया। एक ऐसा एबीडब्ल्यू, जिसका प्राथमिक कार्य अन्य एबीडब्ल्यू तथा फील्ड आर्मी के उपकरणों के ओवरहाल तथा रख-रखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुर्जों का निर्माण तथा स्वदेशीकरण कार्य करना था, वह अपने इस कार्य को करने में असफल रहा क्योंकि 'ओपीआई' वर्गीकरण के अधीन पुर्जों के निर्माण/स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब देखा गया था।

कमज़ोर कारिगरी तथा निकृष्ट दर्जे की सामग्री के प्रयोग के कारण ओवरहाल किए गए उपकरण की गुणवत्ता इन्डेक्स निर्धारित मानदंडों से बहुत कम थी। क्रिटिकल परीक्षण सुविधाओं तथा परीक्षण उपकरणों की कमी की वजह से ओवरहाल किए गए उपकरण को अनिवार्य परीक्षण किए बगैर प्रयोक्ता युनिटों को जारी कर दिया गया।

सिफारिशें

1. मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करे कि, सेना में उपकरणों को शामिल करते समय बनाए गए अनुरक्षण फिलॉसॉफी एवं मध्यस्थता के मानदंडों का कठोर अनुपालन हो तथा इसके कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय यंत्रणा बनाई जाए जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग तथा सेना मुख्यालय शामिल हो जो कि, समय पर पुर्जों की उपलब्धता तथा मरम्मतिय उपकरण की आपूर्ति में आने वाले अवरोधों का निराकरण करे।
2. सेना में श्रेणी 'ब' के वाहनों के ओवरहाल के लिए किसी पॉलिसी की गैर-मौजूदगी में, इन वाहनों का ओवरहाल प्रत्येक की स्थिति के आधार पर वर्कशॉप द्वारा किया जाता है। मंत्रालय इन श्रेणी 'ब' के वाहनों के ओवरहाल के लिए पॉलिसी को सूत्रबद्ध करे।
3. डीजीओएस द्वारा निर्गत आदेशों को जारी करने तथा डिपो द्वारा ओवरहाल किए गए उपकरण के प्रेषण के लिए समय सीमा को सुनिश्चित किया जाए।
4. लागत लेखा पद्धति को वर्कशाप में लागू किया जाए ताकि खोतों अर्थात मानवशक्ति, मशीन एवं सामग्रियों आदि के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके तथा ओवरहाल की लागत का आकलन हो सके।
5. वर्कशॉप में ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करते समय ही ओईएम द्वारा निर्धारित टेस्ट सुविधा को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। चूंकि, वर्कशॉप द्वारा ओवरहाल किए गए टी-72 टैंकों तथा बीएमपी को कुछ विशिष्ट टेस्ट जैसे प्रुफ फायरिंग तथा डिप टेस्टिंग किए बिना युनिटों को निर्गत किए गए जिसका सामरिक तथा गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा, इसलिए संबंधित वर्कशॉप में इन टेस्ट सुविधाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
6. ओवरहाल किए गए बीएमपी की गुणवत्ता इन्डेक्स में 2015-16 के दौरान सुधार हुआ, फिर भी वह कम है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है।